# म. प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम

## 1. निगम की स्थापना

म.प्र.राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना म.प्र. बीज अधिनियम 1980(18) के अन्तर्गत 17 नवम्बर 1980 को की गई थी और निगम द्वारा जनवरी 1981 से कार्य प्रारम्भ किया गया।

## 2. निगम के मुख्य कामकाज

मध्यप्रदेश के कृषकों को पर्याप्त उन्नत एवं उच्चगुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादकता में बृद्धि करना। इस कामकाज की पूर्ति के लिये निम्न कार्य किये जाते हैं :–

2.1 प्रजनक बीज से अधिक से अधिक आधार बीज का उत्पादन करना।

2.2 आधार बीज से अधिक से अधिक प्रमाणित बीज का उत्पादन करना।

2.3 प्रदेश के कृषकों को उनकी आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक मात्रा में उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना ।

2.4 बीज के उपार्जन और विक्रय मूल्यों में नियंत्रण कर कृषकों को उचित मूल्य पर बीज प्रदाय करना ।

## 3. बीज निगम का संचालक मंडल

बीज निगम के संचालक मंडल का संचालन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और 8 निदेशक मिलाकर कुल ग्यारह सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है जो राज्य शासन द्वारा नामांकित किये जाते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के साथ साथ पांच निदेशकों के द्वारा संचालक मंडल का कार्य संचालित किया जा रहा है।

## 4. निगम का संगठनात्मक स्वरूप

4.1 बीज निगम के अन्तर्गत 7 क्षेत्रीय कार्यालय–भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, सतना एवं ग्वालियर में स्थित है। बीज निगम का कार्य क्षेत्र म.प्र. में आच्छादित है। निगम के पास कुल 42 कृषि प्रक्षेत्र, 48 बीज प्रक्रिया केन्द्र, 6 कपास जिन्निंग केन्द्र हैं ।

4.2 बीज निगम के स्वीकृत सेटअप के अनुसार कुल 521 पद स्वीकृत हैं जिनका श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

| क्रमॉक | श्रेणी | कुल स्वीकृत पद | भरे पद |
|---|---|---|---|
| 1. | प्रथम श्रेणी | 22 | 03 |
| 2. | द्वितीय श्रेणी | 56 | 27 |
| 3. | तृतीय श्रेणी | 409 | 265 |
| 4. | चतुर्थ श्रेणी | 34 | 34 |
| | योग | 521 | 329 |

## 5. वित्तीय स्त्रोत

बीज निगम के वित्तीय संसाधन के रूप में मुख्यतः अंशपूजी, अल्पकालीन ऋण एवं व्यावसायिक बैंकों से स्वीकृत कराई गई साख सीमा है जो निम्नानुसार है :–

5.1 **अंशपूॅजी :—** बीज निगम की प्राधिकृत अंशपूॅजी रू. 1500 लाख है और निगम की स्थापना से लेकर अभी तक नगद में रू. 649.22 लाख तथा सम्पत्ति के एवज रू. 177.78 लाख कुल मिलाकर प्रदत्त अंशपूॅजी रू. **827 लाख** प्राप्त हुई है।

5.2 **अल्पकालीन ऋण :—** वर्ष 1996 तक भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 6 माही में बीज कय के लिए अल्कालीन ऋण की राशि रू. 995.32 लाख है।

5.3 **साख सीमा :—** निगम द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से राशि रू. 1695 लाख की साख सीमा स्वीकृत कराई गई है जिसकी शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृति के लिए प्रकियाधीन हैं ।

5.4 **निगम की वित्तीय स्थिति** :— (वर्ष 09—10 तक)

- अधिकृत अंशपूंजी — रू. 1500 लाख
- प्रदत्त अंशपूंजी — रू. 827 लाख
- टर्न ओवर — रू. 9425 लाख
- शुद्व लाभ (अनुमानित) — रू. 821.09 लाख
- संचित लाभ (वर्ष 09—10 तक) — रू. 834.47 लाख
- म.प्र.शासन का अल्पकालीन मूल ऋण — रू. 976 लाख
- व्यावसायिक बैंक से साख सीमा — रू. 1695 लाख
- स्थापना व्यय — रू. 754.89 लाख
- ब्याज व्यय — रू. 161.00 लाख

5.5 वित्तीय वर्ष 07—08 के अंकेक्षित लेखे एवं 08—09 से 09—10 के प्राविजनल लेखों की लाभ—हानि एवं बैलेन्स शीट के अनुसार ऑकड़े निम्नानुसार है :—

**( राशि—लाख में )**

| क. | विवरण | 2005—06 | 2006—07 | 2007—08 | 2008—09 | 2009—10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अधिकृज पूॅजी | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 2. | प्रदत्त अंशपूॅजी | 827.27 | 827.27 | 827.27 | 827.27 | 827.27 |
| 3. | संचित लाभ / हानि | (—) 588.74 | (—) 384.74 | (—)260.74 | 13.38 | 834.47 |
| 4. | शुद्व लाभ / हानि | (—) 90.93 | 204.00 | 124.00 | 274.12 | 821.09 |
| 5. | टर्न ओवर | 5297.41 | 6376.97 | 6538.60 | 8084.00 | .9425.00 |
| 6. | प्रक्षेत्र उत्पा. व्यय | 273.84 | 236.86 | 230.15 | 214.69 | 203.55 |
| 7. | संसाधन व्यय | 238.97 | 199.54 | 212.98 | 161.59 | 138.37 |
| 8. | स्थापना व्यय | 537.96 | 555.35 | 657.00 | 738.72 | 723.89 |
| 9. | कार्यालीन व्यय | 82.88 | 77.74 | 73.67 | 117.70 | 31.00 |
| 10. | विपणन व्यय | 350.19 | 271.84 | 283.30 | 361.99 | 369.83 |
| 11. | ब्याज | 247.22 | 219.00 | 307.36 | 238.44 | 161.00 |
| 12. | मरम्मत एवं रख रखाव व्यय | 21.50 | 22.36 | 22.84 | 19.60 | 17.23 |
| 13. | ह्ृास | 63.01 | 50.94 | 66.17 | 75.97 | 79.12 |

## 6. बीज प्रक्रिया केन्द्र

म0प्र0बीज निगम के अधिनस्थ बीज संसाधन के लिये कुल 53 प्रक्रिया केन्द्र हैं, जिनकी बीज संसाधन क्षमता 7.36 लाख क्विंटल कच्चे बीज की है। वर्तमान में 5.30 लाख क्विंटल बीज का संसाधन किया जा रहा है जो कि संसाधन क्षमता का 72 प्रतिशत है।

## 7. निगम कृषि प्रक्षेत्र

बीज निगम के अधिनस्थ कुल 42 कृषि प्रक्षेत्र जिनका उपलब्ध रकबा 3472 हेक्टेयर है। उपलब्ध रकबे में से कास्त योग्य रकबा रबी एवं खरीफ दोनों सीजनों में 2874 हेक्टेयर है :–

**( क्षेत्रफल हैक्टर में, मात्रा क्विंटल में )**

| क | वर्ष | बोया गया रकवा ( हेक्टर में ) | | | उत्पादित बीज ( क्विंटल में ) | | | उत्पादन प्रति हेक्टर | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी |
| 1. | 2008–09 | 1434 | 1440 | 2874 | 10637 | 14710 | 25347 | 7.42 | 10.22 |
| 2. | 2007–08 | 1529 | 1293 | 2822 | 12435 | 15668 | 28103 | 8.13 | 12.12 |
| 3. | 2006–07 | 1348 | 1533 | 2881 | 13929 | 24397 | 38326 | 10.33 | 15.91 |
| 4 | 2005–06 | 1153 | 1886 | 3039 | 9918 | 17614 | 27532 | 8.60 | 9.34 |

## 8. व्यावसायिक गतिविधियां

8.1 टर्न ओवर निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

| क्रमॉक | वर्ष | टर्न ओवर | | टर्न ओवर की राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| | | बीज की मात्रा | राशि | |
| 1. | 2005–06 | 243642 | 5297.41 | – |
| 2. | 2006–07 | 223525 | 6376.97 | 20.37 % |
| 3. | 2007–08 | 276595 | 6538.60 | 2.53 % |
| 4. | 2008–09 | 276166 | 8083.96 | 23.63 % |
| 5. | 2009–10 | 302840 | 9424.51 | 16.58 % |

### 8.2. आधार/प्रमाणित की उपलब्धता, वितरण एवं अवशेष बीज

( मात्रा– क्विंटल में )

| क्रमांक | वर्ष | उपलब्धता | वितरण | अवशेष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2009–10 | 303346 | 302840 | 506 |
| 2 | 2008–09 | 278634 | 276166 | 2471 |
| 3 | 2007–08 | 289736 | 276595 | 13141 |
| 4 | 2006–07 | 228600 | 223525 | 5075 |
| 5 | 2005–06 | 262724 | 243642 | 19082 |
| 6 | 2004–05 | 389924 | 318627 | 28703 |

वित्तीय वर्ष 2009–10 के खरीफ सीजन में कुल बीज मात्रा 1.71 लाख क्विंटल बीज की उपलब्धता रही है जिसमें सोयाबीन बीज मात्रा 1.58 लाख क्विंटल शामिल है । सोयाबीन बीज की मात्रा अभी तक सर्वाधिक रही है ।

## 9. अन्य गतिविधियां

9.1 मार्च 2008 की स्थिति में बीज निगम के वार्षिक लेखों का अंकेक्षण 2001–02 तक अंकेक्षित हुआ था । वित्तीय वर्ष 2008–09 में चार वर्ष के लेखे एवं वित्तीय वर्ष 2009–10 में दो वर्ष के लेखे इस प्रकार से कुल छः वर्षो के लेखों का अंकेक्षण कार्य पूरा किया गया । वर्ष 2008–09 एवं 09–10 के लिए वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है और इन दोनों वर्षो के लेखों का अंकेक्षण माह जून 2010 तक पूर्ण होने पर बीज निगम लेखों की दृष्टि से अद्यतन की स्थिति में आ सकेगा ।

### 9.2 कृषकों को बीज अनुदान की व्यवस्था

भारत सरकार की आईसोपॉम योजना के अन्तर्गत बीज उत्पादन पर रू. 1000/– प्रति क्विंटल एवं बीज वितरण पर रू. 2000/– प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50 प्रतिशत दोनों में से जो कम हो, अनुदान देने का प्रावधान है। तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं आर.के.वाय.के अन्तर्गत सीरीयल फसलों पर रूपये 700/– प्रति क्विंटल अनुदान देने का प्रावधान है। यह राशि भारत सरकार से राज्य शासन को प्राप्त होती है और राज्य शासन का कृषि संचालनालय जिला स्तर पर बीज निगम को भुगतान करता है । प्रतिवर्ष निगम साख सीमा से रू. 1350 लाख ब्याज भुगतान कर ऋण लेकर शासन की ओर से अनुदान का भुगतान करने की व्यवस्था बीज की दरों में शामिल करके कृषकों को किया जाता है और बीज निगम को यह अनुदान कृषि विभाग के जिला स्तर पर भुगतान प्राप्त करने में लगभग 5–6 माह का समय लगता है ।